

कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- अनु.-प्रथम/सी/2019/01

दिनांक: 10/01/2019

कार्यालय आदेश

राजस्थान सेवा नियमावली के नियम-56 के प्रावधानानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत निम्नांकित अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारियों को अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष (अवधि दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक) पूर्ण करने के फलस्वरूप वर्ष 2019-20 में उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक को तुरन्त प्रभाव से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क. सं.	कर्मचारी का नाम मय पिता का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	जन्म दिनांक	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की दिनांक	राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति की दिनांक
1	2	3	4	5	6
उद्यान शाखा					
1	श्री दिनेश चन्द्र माली पुत्र श्री देवी लाल माली, सहा0निरि0उद्यान	वरिष्ठ अधीक्षक उद्यान, जयपुर	15.05.59	14.05.19	31.05.19
वास्तुशाखा (अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग)					
2	श्री मृगेश कुमार शर्मा पुत्र श्री महेश चन्द्र, वरिष्ठ प्रारूपकार	मुख्य अभियन्ता कार्या0 जयपुर	23.06.59	22.06.19	30.06.19
3	श्री कृष्ण मुरारी पारीक पुत्र श्री नाथू लाल पारीक, वरिष्ठ प्रारूपकार	खण्ड दूदू जयपुर	01.07.59	30.06.19	30.06.19
4	श्री रतन लाल अवस्थी पुत्र श्री ललिता प्रसाद अवस्थी, वरिष्ठ प्रारूपकार	नगर खण्ड कोटा	15.07.59	14.07.19	31.07.19
5	श्री कालूराम मीणा पुत्र श्री पूरा राम मीणा, अनुरेखक	खण्ड दौसा	12.08.59	11.08.19	31.08.19
6	श्री हुकम चन्द माथुर पुत्र श्री दिल मोहन माथुर, कनिष्ठ प्रारूपकार	जिला खण्ड कोटा	02.09.59	01.09.19	30.09.19
7	श्री महेश चन्द्र दीक्षित पुत्र श्री शान्ति शंकर, अनुरेखक	वृत्त उदयपुर	05.09.59	04.09.19	30.09.19
8	श्री मांगी लाल मेनारिया पुत्र श्री किशन लाल, कनिष्ठ प्रारूपकार	संभाग उदयपुर	13.09.59	12.09.19	30.09.19
9	श्री भगवान सहाय यादव पुत्र श्री कन्हैया लाल, कनिष्ठ प्रारूपकार	संभाग द्वितीय जयपुर	05.10.59	04.10.19	31.10.19
10	श्री राजेन्द्र कुमार सक्सेना पुत्र श्री मंगल सैन, वरिष्ठ प्रारूपकार	जिला खण्ड कोटा	16.11.59	15.11.19	30.11.19
11	श्री मुकेश कुमार वर्मा पुत्र श्री दुर्गा लाल वर्मा, अनुरेखक	नगर खण्ड तृतीय जयपुर	02.01.60	01.01.20	31.01.20
12	श्री भगवत स्वरूप सैनी पुत्र श्री पूरण मल सैनी, कनिष्ठ प्रारूपकार	मुख्य अभियन्ता कार्या0 जयपुर	22.03.60	21.03.20	31.03.20
13	श्री बंशीधर बागड़ा पुत्र श्री रघुनाथ बागड़ा, कनिष्ठ प्रारूपकार	नगर खण्ड द्वितीय जयपुर	01.04.60	31.03.20	31.03.20
राजस्व निरीक्षक एवं भू-मापक (अमीन) (अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग)					
14	श्री अमर सिंह मीणा पुत्र श्री डी.आर. मीणा, राजस्व निरीक्षक	ग्रामीण वृत्त जयपुर	02.07.59	01.07.19	31.07.19
15	श्री चिरंजी लाल वर्मा पुत्र श्री एम.आर. वर्मा, राजस्व निरीक्षक	वृत्त चित्तौड़गढ़	12.08.59	11.08.19	31.08.19
16	श्री नाथू लाल पुत्र श्री किशन लाल, राजस्व निरीक्षक	वृत्त सीकर	25.08.59	24.08.19	31.08.19
17	श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री श्याम लाल, भू-मापक	वृत्त जोधपुर	10.11.59	09.11.19	30.11.19

वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला प्रवर्तक (अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग)					
18	श्री रमेश चन्द्र नरेड़ा पुत्र श्री मोहन लाल नरेड़ा, वैज्ञानिक (ज्योलोजिस्ट)	केन्द्रीय प्रयोगशाला जयपुर	07.02.60	06.02.20	29.02.20

संबंधित कार्यालय अधिवाषिकी आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप राजकीय आवास में अधिवासित के मामलों में आवंटी की सेवानिवृति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास रिक्त करवाये एवं राज्य सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की पेंशन, ग्रेच्युटी, बकाया दावों, यात्रा भत्ता, वेतन निर्धारण आदि को अन्तिम रूप देते हुए इस कार्यालय को अवगत करावे ।

उपरोक्त सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सेवा अभिलेख से उनके नाम व अन्य सेवा विवरण का मिलान करें तथा यदि कोई विभागीय जांच बकाया/विचाराधीन हो तो इस कार्यालय को अवगत करावे तथा कर्मचारी का पेंशन प्रकरण नियमानुसार तैयार कर पेंशन विभाग को भिजवाते हुए इस कार्यालय को सूचित करें ।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच शेष हो, अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रकरण हो, स्टोर में कमी संबंधी प्रकरण या अन्य प्रकरण हो तो कर्मचारियों की सेवानिवृति होने से पूर्व कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सम्भागों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ वृत्त/खण्ड/उपखण्ड स्तर पर कार्यरत अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारी जिन्होंने 60 वर्ष की अधिवाषिकी आयु पूर्ण कर ली हो, किन्तु उसका नाम उक्त आदेश में सम्मिलित होने से रह गया हो तो आप तत्काल इस कार्यालय को अवगत करावे ताकि कार्मिक के सेवानिवृति आदेश जारी किये जा सकें ।



(एम.जी. माहेश्वरी)


मुख्य अभियन्ता एवं अति० सचिव
सार्वजनिक निर्माण विभाग राज० जयपुर
taceaspwd@rediffmail.com
Phone No. 0141-2223515

क्रमांक:एफ. 44(14)/अनु.प्रथम/सी/2019/प्रे०-27

दिनांक: 10/01/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राज० जयपुर ।
2. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज० जयपुर ।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सानिवि संभाग-समस्त ।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, (विद्युत), सानिवि जयपुर/जोधपुर ।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय-समस्त
6. अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि वृत्त-समस्त ।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि खण्ड-समस्त ।
8. अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय), सानिवि राज० जयपुर ।
9. संयुक्त निदेशक, आईटी, सानिवि राज० जयपुर को उक्त आदेश को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
10. उद्यान विज्ञ, सानिवि राज० जयपुर ।
11. वरिष्ठ अधीक्षक उद्यान/अधीक्षक उद्यान, सानिवि-समस्त ।
12. श्री
13. निजी सचिव, मु.अ./अनुभाग-8 (जांच अनुभाग)/मुख्य वास्तुविद्/वित्तीय सलाहकार/संयुक्त विधि परामर्शी/परीक्षण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, सानिवि, राज० जयपुर ।
14. व्यक्तिगत/रक्षित पत्रावली ।


(सुनील जयसिंह)

अधीक्षण अभियन्ता एवं तक. सहा. प्रथम
सार्वजनिक निर्माण विभाग राज० जयपुर
taceaspwd@rediffmail.com
Phone No. 0141-2223515